Website-uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगतसिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांकः– 1110 /उ0व0बोर्ड/985–ई–ऑफिस/2021–22 दिनांक– 14 दिसम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड़ वक़्फ बोर्ड के समस्त कार्यों के सरल, शीघ्र व पारदर्शी ढंग से निस्तारण हेतु ई–ऑफिस की स्थापना की गयी है। जिस हेतु बोर्ड द्वारा एक वेब एपलिकेशन **http://app.ukwms.org** का निर्माण कराया गया है। वेब एपलिकेशन पर बोर्ड एवं औक़ाफ से सम्बन्धित एवं वक़्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013), वक़्फ सम्पत्ति पट्टा नियम, 2014 संशोधित 2020 तथा उत्तराखण्ड़ वक़्फ नियम, 2017 के तहत निम्नलिखित कार्य एवं सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से सम्पादित की जाएगीः–

1. वक़्फ पंजीकरण हेतु आवेदन।
2. बोर्ड अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन।
3. बोर्ड अभिलेखों की प्रमाणित प्रति पाने हेतु आवेदन।
4. वक़्फ के बजट का बोर्ड को प्रेषण।
5. वक़्फ के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण।
6. वक़्फ/बोर्ड के धन की वसूली की कार्यवाहियां।
7. वक़्फ सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाहियां।
8. अवैध रूप से विक्रित वक़्फ सम्पत्तियों की वापसी सम्बन्धी कार्यवाहियां।
9. वक़्फ सम्पत्ति को पट्टे(लीज़) पर देना।
10. वक़्फ प्रबन्धन का कार्यकाल बढाया जाना
11. मुतवल्ली की नियुक्ति एवं हटाया जाना।
12. प्रबन्ध समिति की नियुक्ति एवं हटाया जाना।
13. वक़्फ प्रबन्धन के विरूद्ध शिकायतों का निस्तारण।
14. अंशदान की अदायगी।
15. बोर्ड का बजट।
16. बोर्ड तथा औक़ाफ के वादों का निस्तारण।
17. ज़रूरतमंद मस्जिदों/मदरसों/खानकाहों/स्कूलों आदि की ऑनलाइन इमदाद हेतु सेवा।
18. पंजीकृत कब्रिस्तानों से दफन–रसीद पाने हेतु आवेदन।
19. सूचना का अधिकार अधिनिम, 2005 के तहत आवेदन एवं निस्तारण।
20. प्रत्येक वक़्फ की आय–व्यय/प्रबन्धन/सम्पत्तियों/वादों की अद्यतन स्थिति।
21. बोर्ड के आन्तरिक वादों की अद्यतन स्थिति।
22. बोर्ड कार्यालय के पत्राचार के ऑनलाइन निस्तारण हेतु ई–फाईलिंग।
23. बोर्ड कार्यालय हेतु स्टॉक प्रबन्धन।

क्रमश......................2

5

2– अतः एतद्द्वारा समस्त वक़्फ प्रबन्धनों तथा बोर्ड कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से उपरोक्त सभी सेवाओं/कार्यों के निस्तारण ई–ऑफिस एवं दिनांक–31.03.2022 तक वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था को भी जारी रखते हुए सम्पादित किये जायेंगे। ई–ऑफिस के सम्बन्ध में वक़्फ प्रबन्धनों के प्रशिक्षित किये जाने हेतु जनपदवार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय।

(डॉ0 अहमद इक़बाल)
आई0ए0एस
प्रशासक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या– 1110 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, केन्द्रीय वक़्फ परिषद, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त पटल सहायक, उत्तराखण्ड़ वक़्फ बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि वर्तमान में आवंटित कार्य उपरोक्त ऑनलाईन व्यवस्था में सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर भी प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
6. समस्त मुतवल्ली/वक़्फ प्रबन्ध समिति, उत्तराखण्ड।
7. मै0 सरमर इन्फोटेक प्रा0 लि0, देहरादून को इस आशय से कि बोर्ड कार्मिकों को समस्त ऑनलाईन मॉड्यूल का प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अहमद इक़बाल)
आई0ए0एस
प्रशासक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी।